



सहायक न्यायाधीश, देहरादून
उत्तराखण्ड UTTARAKHAND
 - 9 JAN 2012
 कक्षा 001

11AA 657942

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप-26

(नियम 4-क देखिए)

श्री देहरादून केन्द्र निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।
 मैं सुभाष चन्द्र जैसवाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जगदीश राज आयु 43 वर्ष, जो विवाह न.
 04/08/82 देहरादून केन्द्र निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ/शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

1 मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये है।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

मेरे विरुद्ध माननीय न्यायालय में निम्न वाद लम्बित है:-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 2122
- (ii) पुलिस थाना (थाने) 2122 जिला या जिले 2122 राज्य लागू नदी
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण लागू नदी जिसके(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है:- लागू नदी
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई है लागू नदी



Handwritten signature

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे- लागू नहीं
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लागू नहीं
- 2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्स अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है। लागू नहीं
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):- लागू नहीं
- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है- लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले)राज्य
- (iv) संबधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है- लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे-.....
लागू नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है- लागू नहीं

स्थान:- देहरादून।
के हस्ताक्षर

तारीख:- 11-01-2012

Abhishek Choudhary
अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 11-01-2012 को सत्यापित किया।

This affidavit is sworn before me by
Mr. Subhash chand jasonia
who is identified by Abhi...
at Dehradun on 11/01/12

Reg, No. 69/12
RAM KRISHAN JOSHI
Advocate & NOTARY
Dehradun, Uttarakhand (INDIA)

Abhishek Choudhary

Abhishek Choudhary
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

